:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः–89/2019 राजस्व वाद

1. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री मगु उर्फ मगुड़ा पिता मक्सी पिता पन्ना ननोमा भील निवासी भेडू प.ह. धम्बोला तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर (राज.) हाल निवास बर मकान पति श्री काउडा विहात मीणा निवासी गंधवा पाल फला हडमतिया तहसील झौंथरी जिला–डूंगरपुर।
2. श्रीमती भारती पुत्री मगु उर्फ मगुड़ा पिता मक्सी पिता पन्ना ननोमा भील निवासी भेडू प.ह. धम्बोला तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर (राज.) हाल निवास बर मकान पति श्री रामा भील कटारा निवासी दरियाटी तहसील चिखली जिला–डूंगरपुर।

––वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लाली पत्नी हिरालाल कटारा मीणा निवासी भेडू प.ह. धम्बोला तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर (राज.)।
2. श्री मगुड़ा उर्फ मगु पिता मक्सी ननोमा मीणा निवासी भेडू प.ह. धम्बोला तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर (राज.)
3. श्री हीरालाल कटारा पिता शिवा कटारा निवासी निवासी भेडू प.ह. धम्बोला तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर (राज.)।
4. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर (राज.)।

––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 जा.दी.

उपस्थित :–

1 अल्लाहनूर मंसूरी अधिवक्ता वादी।
2 इन्दुलाल पाटीदार अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

:: आदेश :: दिनांक 09/07/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 07 नियम 11 जा.दी. दिनांक 25.03.2021 को पेश कर निवेदन किया गया है कि कॉलम संख्या 1 से अंतिम तक वाद अस्वीकार है। वादी ने वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो नामंजूर किये जाने योग्य है। क्योकि वादीयागण व उनकी मां ने पूर्व में भी एक वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें कोई ठोस आधार नहीं होने से न्यायालय में वादीयागण के वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने के बाद कोई ठोस आधार नहीं होने से उपस्थित नहीं हुए जिससे वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होकर दाखिल दफ्तर किया गया। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 वादीयागण के पिता है जिन्हे अपने परिवार में पत्नि व पुत्रीयों के जीविकापार्जन के लिए रूपयों की आवश्यकता व आय का कोई जरीया नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष भुमि विक्रय करने की इच्छा जताई थी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मौजा धम्बोला की खसरा नम्बर 4526 रकबा 6–00 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

कृषिभुमि विक्रय कर प्रतिवादी संख्या 2 ने विक्रय पत्र सम्पादित किया गया था जिसका नामान्तरण दर्ज कराकर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषिभुमि की एकमात्र खातेदार होकर अपने पति प्रतिवादी संख्या 3 के साथ काश्त कर रही है। यह कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वादीयागण का वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योकि पूर्व वादीयागण व उसकी माता द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर वाद में आधारहीन तथ्यों के होने के कारण खारिज किया जा चुका है। जिसके बाद पुनः उसी न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाकर वादीयागण द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष विक्रय पत्र के अनुसार पंजीयन शुल्क जमा कराकर ही दस्तावेज सम्पादित करवाए गए है। जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से नामंजूर किया जावे। यह कि वादीयागण जबरन प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने की नियत व पैसों की लालच में आकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से वादीयागण के पिता द्वारा घरेलु आवश्यकता को लेकर बेची गई भुमि में विवाद उत्पन्न कर जबरन पैसा ऐंठ सके। ऐसे में वादीयागण का वाद नामजुर किया जावे। यह कि पूर्व में वादीयागण व उनकी माता भुरी ने मिलकर एक वाद व प्रार्थना पत्र श्री मान आप न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें वादीयागण का प्रार्थना अस्वीकार कर फैसल कर दिया था तथा वाद जिसका अनवान भुरी पत्नि मंगु उर्फ मगुडा बनाम श्रीमती लाली पत्नि हिरालाल प्रकरण संख्या 157/18 ई. दी के नाम से चल रहा था। जो वादीयागण के आधारहीन व ठोस तथ्यों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में वादीयागण का वाद नामंजूर कर राहत दिलावे। अतः श्री मान से निवेदन है कि वादीयागण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाकर नामंजूर किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब वादी की ओर से पेश किया कि प्रार्थनापत्र की कलम नं. 1 में लिखी इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं। वादीगण की ओर से किसी प्रकार से कोई तथ्य छिपाये नहीं गये हैं। पूर्व में न्यायालय आप में प्रकरण संख्या 157/2018 प्रस्तुत किया जाना बताया जा रहा है उसमें वादीया नं. 1 को पक्षकार में नाम अंकित किया गया है लेकिन उसके हस्ताक्षर (अंगुष्ट निशानी) वाद में नहीं है एवं प्रमाणीकरण भी भारती एवं भूरी द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद को अदम हाजरी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी में खारिज किया गया है। किसी प्रकार से गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। इसलिए जबकि किसी वाद को गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय/डिक्री पारित नहीं की जाती उस पर रेसज्युडिकेटा लागू नहीं होता है। इसके अलावा इस प्रकरण में श्रीमति भूरी पक्षकार नहीं है एवं पूर्व वाद जो अदम हाजरी में खारिज हुआ वादीया नम्बर 1 एक श्रीमति लक्ष्मी का नाम मात्र अंकित किया गया है लेकिन उसके वाद के अन्त में एवं प्रमाणिकरण में हस्ताक्षर नहीं होने से उसे पूर्व वाद प्रस्तुत किये जाने की जानकारी नहीं थी इसलिए पूर्व प्रस्तुत वाद एवं वर्तमान वाद में समान पक्षकार नहीं होने से आर्डर 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान इस वाद पर लागू नहीं होते है। वाद की कलम नं. 2 में लिखी इबारत गलत एवं बेबुनियाद होने से स्वीकार नहीं। प्रतिवादी नं. 2 से प्रतिवादी नं. 1 व 3 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी को क्रय नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादीया नं. 1 द्वारा प्रतिवादी नं. 2 की सगी बहिन होकर खूनी रिश्ता होना बताकर अपने पक्ष में बक्षीस नामा धोखे से संपादित करवाया है। प्रतिवादी नं. 2 द्वारा किसी प्रकार का कोई विक्रय पत्र प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में संपादित नहीं करवाया है। प्रतिवादी नं. 3 ने पटवारी हल्का से साठ गांठ करते हुए नामान्तकरण प्रमाणित करवाते समय बक्षीसनामा को छिपा कर विक्रय पत्र होना अंकित करवाकर खुलवाया है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 2 को अपने परिवार के लिए भरण पोषण करने हेतु अपनी विरासती आराजी को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के लिए बक्षीस नामा को विक्रय पत्र होना बताकर आवेदन प्रस्तुत किया है। मौके पर आज भी कब्जा काश्त वादीगण का बना हुआ है। नामान्तकरण गलत आधार पर प्रमाणित कराए जाने से प्रतिवादीगण का खोला गया नामान्तकरण भी खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार जब तक प्रकरण पर साक्ष्य प्रस्तुत होकर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार से प्रतिवादी नं. 1 का प्रतिवादी नं. 2 के साथ खूनी रिश्ता होकर वह सगी बहिन हैं, साबित नहीं हो सकता है। वादीगण की ओर से वाद में बक्षीस नामा की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी नं. 1 व 3 की ओर से न्यायालय में आवेदन में विक्रय पत्र होना बताकर आवेदन प्रस्तुत किया है तो वह न्यायालय के समक्ष विक्रय पत्र प्रस्तुत कर साबित करावे कि उनके द्वारा प्रतिवादी नं. 2 से आराजी को जरिये विक्रय पत्र के क्रय की है। प्रार्थनापत्र की कलम नं. 3 में लिखी इबारत गलत एवं वे बुनियाद होने से स्वीकार नहीं। पूर्व में वादीया नं. 2 एवं उसकी माता द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 157/2018 रेवेन्यु श्रीमति भूरी वगै. बनाम श्रीमति लाली वगैरह अदम हाजरी अदम पैरवी में वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थित में बिना किसी अन्तिम निर्णय के खारिज किया गया है। इस प्रकार पूर्व में प्रस्तुत वाद में वादीया नं. 1 का वाद के अन्तिम में एवं प्रमाणिकरण में अंगुष्ट निशानी नहीं होना इस बात को साबित करता है कि वह पूर्व वाद में पक्षकार नहीं थी। मात्र अनवान में नाम मात्र लिख दिये जाने से कोई पक्षकार नहीं होता। इस प्रकार पूर्व वाद एवं वर्तमान में चल रहे वाद में समान पक्षकार नहीं थी। साथ ही रेसज्युडिकेटा उस वाद पर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रावधान लागू होता है जिस वाद का अन्तिम निस्तारण गुणावगुण के आधार पर अन्तिम रूप से निर्णय एवं डिक्री साक्ष्य आदि ली जाकर किया गया हो। इस वाद में पूर्व वाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय/डिक्री नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते है प्रार्थनापत्र की कलम नं. 4 में लिखी इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 से किसी प्रकार को कोई आराजी क्रय नहीं की है और न ही विक्रय मुल्य दिया गया है। प्रतिवादी नं. 1 व 3 ने धोखाधडी से प्रतिवादीया नं. 1 को प्रतिवादी नं. 2 की सगी बहिन एवं खूनी रिश्तेदार होना बताकर बक्षीस नामा बिना किसी प्रतिफल प्रतिवादी नं. 2 को दिये अपने पक्ष में करवाया है। इस प्रकार प्रतिवादीया नं. 1 व 3 का वादीगण पर यह आरोप लगाना कि पैसा ऐंठने के लिए झूठा वाद प्रस्तुत किया है सरासर गलत एवं बे बुनियाद है। बक्षीस नामा में किसी प्रकार की राशि का लेन देन नहीं किया जाता है और न ही किया गया है। यदि प्रतिवादी नं. 1 व 3 द्वारा विक्रय पत्र संपादित करवाकर आराजी क्रय की है तो वह विक्रय पत्र उनके पास होगा प्रस्तुत कर साबित करावे। इस प्रकार वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद किसी प्रकार से नामंजुर किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र की कलम नं. 5 में लिखी इबारत गलत एवं बे बुनियाद होने से स्वीकार नहीं। वादीया नं. 2 एवं उसकी माता श्रीमति भूरी द्वारा एक वाद अवश्य प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 157/2018 रेवेन्यु श्रीमति भूरी बनाम श्रीमति लाली के नाम से चला था लेकिन दिनांक 04.03.2020 को वादीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा श्रीमति लक्ष्मी वगैरह बनाम श्रीमति लाली वगैरह प्रकरण संख्या 89/2019 रेवेन्यु एवं उनके अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी के बिना गुणावगुण आदेश के खारिज किया गया। इस प्रकार प्रकरण संख्या 157/2018 में किसी प्रकार की साक्ष्य लिपिबद्ध नहीं हुई और वाद अदम हाजरी अदम पैरवी पक्षकार मुकदमा के खारिज फरमाया गया है। इस प्रकार प्रकरण गुणावगुण आदेश के साथ निर्णित नहीं होने से इस वाद पर किसी प्रकार से रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं अतः प्रतिवादी नं. 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निराधार होने से सव्यय खारिज किया जाना फरमावें। अतिरिक्त उत्तर यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया होने से प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। पूर्व प्रकरण संख्या 157/2018 रेवेन्यु श्रीमति भूरी वगै. बनाम श्रीमति लाली वगै. को दिनांक 04.03.2020 को अदम हाजरी अदम पैरवी पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से खारिज फरमाया गया है किसी प्रकार से साक्ष्य लिपिबद्ध नहीं होकर अन्तिम निर्णय/डिक्री पारित नहीं हुई और इस प्रकार गुणावगुण पर न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण नहीं किये जाने से आर्डर 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान इस वाद पर लागू नहीं होते हैं। यह कि वादीया नं. 1 श्रीमति लक्ष्मी का पूर्व वाद के अन्तिम एवं प्रमाणिकरण में हस्ताक्षर (अंगुष्ट निशानी) नहीं होने से स्पष्ट है कि वह पूर्व वाद में शामिल नहीं थी मात्र अनवान में नाम अंकित किया गया है इस लिए भी पूर्व वाद में एवं वर्तमान वाद में समान पक्षकार नहीं है। यह कि जवाब प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र पेश है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी नं. 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जाना फरमावें।

प्रकरण में दिनांक 24.02.2022 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना–पत्र वकील वादीया की ओर से प्रस्तुत किया गया।

वकील वादीया ने उक्त वाद पंजीकृत बक्षीसनामा/विक्रयपत्र को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। पंजीकृत दतस्तावेज शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है। इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद सम्पत्ति का मूल्यांकन कर, कोर्ट फीस अदा कर सुनवाई करने के प्रावधान है। इस वाद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किये जाने से मूल वाद ही खारिज किये जाने योग्य है, अतः आदेश 06 नियम 17 जा.दी. के प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः मूल वाद खारिज हो, पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा